मैसर्स राहुल बिल्डर

बनाम

मैसर्स अरिहन्त फर्टिलाइजर्स और केमिकल व अन्य

नवंबर 02, 2007

[एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जेजे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

धारा 138, परंतुक (बी)- चैक का अनादरण- परिवाद - पोषणीयता, जब नोटिस में चैक धनराशि के भुगतान हेतु कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई हो - अवधारित – पोषणीय नहीं अगर सूचना धारा 138 के परंतुक (बी) के अनुरूप नहीं है - धारा 15 दिन की सूचना का प्रावधान भी नहीं करती - इसके अभाव में ऐसी अपेक्षा नही की जा सकती - सूचना - विधियों की व्याख्या।

विधियों की व्याख्याः

परंतुक – प्रयोज्यता – अवधारित - जब परंतुक लागू होता है, मुख्य खंड लागू नहीं होगा।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक अनुबंध किया। अपीलार्थी ने रुपये 26.46 लाख राशि के संविदात्मक कार्य के निष्पादन के लिए बिल प्रस्तुत किए। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रुपये 17.74 लाख का भुगतान किया। रूपये 8.72 लाख की राशि शेष रही। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के पक्ष में राशि रुपये 1 लाख का चैक जारी किया, जिसका इस आधार पर अनादरण हो गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपना बैंक खाता बंद कर दिया था।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 10 दिनों के भीतर लंबित बिलों का भुगतान करने का अनुरोध करते हुए दिनांक 31.10.2000 को एक पत्र भेजा। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भुगतान नहीं किया। अपीलार्थी ने दिनांक 11.12.2000 को परिवाद दायर किया। उच्च न्यायालय ने यह अवधारित करते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया कि प्रत्यर्थी को 15 दिन की सूचना नहीं दी गयी है, कायर्वाही वैध नही थी और सूचना अस्पष्ट थी जो धारा 138 के परंतुक (क) व (ख) की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी।

परिणामतः हस्तगत अपील खारीज करते हुए न्यायालय ने अवधारित किया कि-

1. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138, 15 दिन की सूचना का प्रावधान नहीं करती है। यह धारा नाेटिस तामील होने के पश्चात चैक धनराशि की सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर भुगतान की बात करती है। जब कानून सूचना की तामील के लिए एक विनिर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित करता है तो यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। ऐसी किसी शर्त की अनुपस्थिति में यह मानना मुश्किल है कि 15 दिनों की सूचना अनिवार्य थी। इसलिए, उच्च न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष सही नहीं था। [पैरा 8] [956-सी, डी]

2. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को जारी सूचना दिनांकित 31.10.2000 में केवल यह जानकारी दी गई थी कि जब चैक को बैंक में प्रस्तुत किया गया तो बैंक अधिकारियों द्वारा इस आधार पर चैक "बिना भुगतान के" वापस कर दिया गया कि खाता बंद कर दिया गया था। उक्त सूचना के प्रासंगिक भाग में केवल प्रत्यर्थी को उसके लंबित बिलों का भुगतान करने एवं ऐसा न करने पर उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए कहा गया था। [पैरा 9] [956-ई, एफ]

सन्दर्भ - सुमन सेठी बनाम अजय के. चुरीवाल व अन्य, [2000] 2 एससीसी 380 और के.आर इंदिरा बनाम डॉ. जी. आदिनारायण, [2003] 8 एससीसी 300।

3.1. परिवाद की पोषणीयता के लिए सूचना की तामिल होना अनिवार्य है। यह एक विधिक परिकल्पना है। धारा 138 अधिनियम का प्रावधान परंतुक द्वारा सीमित है। जब परंतुक लागू होता है, मुख्य खंड लागू नहीं होगा। जब तक अधिनियम की धारा 138 के परंतुक (बी) के अनुरूप कोई सूचना नहीं दी जाती है, तब तक परिवाद पाेषणीय नहीं होगा। विधायिका ने उक्त प्रावधान बनाते समय सचेत रूप से कुछ शर्तों को लागू किया है। इनमें से एक "उक्त राशि का भुगतान" वाक्यांश के रूप में चैक की धनराशि की मांग करते हुए सूचना का तामिल होना है। इस प्रकार की सूचना बैंक से चैक के अनादरण की सूचना प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर जारी की जानी चाहिए। [पैरा 10] [956-जी; 957-ए, बी]

3.2. कानून में दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने की परिकल्पना की गई है। दंडात्मक प्रावधान की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए; जिसके लिए सूचना की तामील होना पूववर्ती शर्त है। ऐसा कहना सही है कि मांग न केवल चैक के तहत भुगतान की गई राशि का प्रतिनिधित्व कर सकती है बल्कि लागत और ब्याज जैसे अन्य आकस्मिक खर्च भी इसमें शामिल हो सकते हैं लेकिन ऐसा होने का मतलब यह नहीं होगा कि सूचना अस्पष्ट व दो अर्थ वाली है। यह विनिर्दिष्ट किए बिना कि अनादरित चैक के तहत कितनी देय राशि होगी, सूचना कानून की आवश्यकता को पूरा नही करती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को जारी किए गए चैक के तहत देय राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कहा गया था। जिस राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, वह बिलों की बकाया राशि अर्थात रुपये 8.72 लाख थी। सूचना प्राप्तकर्ता को उक्त मांग का जवाब देना था। उस रुपये 1 लाख राशि का भुगतान करने की कोई मांग नहीं की गई थी जिसके लिए परिवादी को चैक दिया गया था। इस तरह से, पूरी राशि की मांग की गई थी, न कि इसका एक हिस्सा। क्योंकि चैक राशि के भुगतान की कोई मांग नहीं

की गई थी, इसलिए विवादित निर्णय में कोई दोष नहीं है। [पैरा 10 और 13] [957-बी, सी, डी; 959-बी]

निर्णयः दाण्डिक अपील संख्या - 525/2005।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ के विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या 2924/2004 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.11.2004 के विरूद्ध अपील

अपीलार्थी की ओर से श्री सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, प्रतिभा जैन और एच. डी. थानवी प्रत्यर्थी की ओर से श्री संजीव सचदेवा और चेतन चोपड़ा (सी. डी. सिंह के लिए)

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. इनके द्वारा सुनाया गया था।

1. हस्तगत अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या 2924/2004 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 22.11.2004 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें यह प्रश्न निहित है कि क्या अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-द्वितीय, नीमच द्वारा अपीलार्थी के परिवादी पर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही, अपीलार्थी की ओर से परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 138 से जुड़े परंतुक के संदर्भ में उचित सूचना देने में विफलता के आधार पर रद्द हो जाएगी।

2. अपीलार्थी एक साझेदारी फर्म है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक भवन और फैक्ट्री परिसर के निर्माण के लिए अपीलार्थी के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया। अपीलार्थी ने संविदात्मक कार्य के निष्पादन के लिए रुपये 26,46,647/- की राशि के बिल प्रस्तुत किए। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रूपये 17,74,238/- का भुगतान किया था और शेष रुपये 8,72,409/- बकाया बताया गया। प्रत्यर्थी द्वारा रुपये 1,00,000/- की राशि का एक चैक, फेडरल बैंक लिमिटेड, इंदौर पर भुगतान हेतु अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया गया था। उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर, इस आधार पर आदर नहीं किया गया कि

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बैंक में अपना खाता बंद कर दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक सूचना दिनांकित 31.10.2000 भेजी गयी थी जिसमें कहा गया कि:

> "आपका चैक संख्या 693336 दिनांक 30/4/2000, राशि रुपये 1,00,000/- को भी बैंक अधिकारियों ने इस टिप्पणी के साथ बिना भुगतान किए लौटा दिया है कि खाता संख्या 1461 पहले ही बंद हो चुका है। इसलिए मैं अधोहस्ताक्षरी अब अपने लंबित बिलों की राशि प्राप्त करने के लिए आपके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हूं।"
>
> "उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर मेरे लंबित बिलों का भुगतान करें अन्यथा आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।"

3. उक्त सूचना प्राप्त होने के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कोई भुगतान नहीं किया, दिनांक 11.12.2000 को एक परिवाद दायर किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उक्त परिवाद को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा जारी की गयी सूचना वैध नहीं थी। उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया गया। इसके खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष दायर एक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया।

4. यद्यपि, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (संहिता) की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपने आक्षेपित आदेश द्वारा उसके समक्ष लंबित दाण्डिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया है:

(i) प्रत्यर्थी संख्या 1 को 15 दिन की सूचना नहीं दी गयी, सूचना वैध नहीं थी।

(ii) परिवादी ने उक्त सूचना के द्वारा चैक धनराशि रुपये 1,00,000/- के विरूद्ध रुपये 8,72,409/- की मांग की थी। चैक की धनराशि रुपये 1,00,000/- रुपये थी, सूचना अस्पष्ट थी और अधिनियम की धारा 138 के परंतुक (बी) और (सी) की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन ने तर्क् पेश किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वह इस पर विचार करने में विफल रहा है कि:

(i) अधिनियम की धारा 138 में 15 दिन की सूचना का प्रावधान नहीं दिया गया है;

(ii) मांग राशि रूपये 8,72,409/- का ही एक हिस्सा होने के कारण, चैक की राशि रुपये 1,00,000/- का भुगतान न करने का कोई बचाव नहीं लिया जा सकता।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव सचदेवा ने फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि विचाराधीन सूचना अधिनियम की धारा 138 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

7. अधिनियम की धारा 138 निम्न प्रावधान करती हैः

> "**138.** लेखों में जमा राशि अप्रयाप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादरित हो जाना - जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित्त अपने खाते में से अपने किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए कोई चैक दिया जाता है और वह चैक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अथवा पहले से ही उस खाते में से किसी अन्य व्यक्तियों को संदाय करने का करार कर दिए जाने के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान किये पुनः लौटा दिया जाता

है, वहां यह समझ जाएगा कि वह व्यक्ति ने अपराध किया है और उसे इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उतनी अवधि के कारावास से जो की 2 वर्ष तक की हो सकेगी अथवा उतनी राशि के जुर्माने से जो चैक की राशि से दुगनी तक हो सकेगी अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगाः

परंतु इस धारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी, जब तक की

(ए) .....

(बी) चैक के अधीन राशि पाने वाला अथवा सामान्य अनुक्रम में चैक का धारक, यथास्थिति, बैंक से चैक के अनाद्रत होकर लौटने की तिथि से तीस दिन के अंदर चैक के लेखीवाल को शोध्य राशि का संदाय करने के आशय की सूचना नहीं देता; और

(सी) लेखीवाल उस सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अंदर उस व्यक्ति को जो चैक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला हो अथवा जो सामान्य अनुक्रम में चैक का धारक हो, उस राशि का संदाय करने में सफल नहीं रहता।''

8. धारा 138, 15 दिन के सूचना का प्रावधान नहीं करती है। यह सूचना की प्राप्ति और उसके प्राप्ति होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर चैक की राशि का भुगतान करने का प्रावधान करती है। जब क़ानून किसी विशेष अवधि को निर्दिष्ट करते हुए सूचना की सेवा के लिए निर्धारित करता है, तो इसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। ऐसी किसी भी शर्त के अभाव में, यह कहना मुश्किल है कि 15 दिन की सूचना अपेक्षित थी। इसलिए, उच्च न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष सही नहीं था।

9. हमने इसके पहले अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को जारी दिनांकित 31.10.2000 की सूचना का अवलोकन किया है। इसमें केवल यह जानकारी दी गई थी

कि चैक प्रस्तुत करने पर बैंक अधिकारियों द्वारा चैक को "बिना भुगतान किए" इस टिपण्णी के साथ वापस कर दिया कि खाता बंद कर दिया गया है। यह तर्क दिया गया कि ऐसी स्थिति में परिवादी अपने लंबित बिलों की राशि प्राप्त करने के लिए आरोपी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र था। उक्त सूचना के प्रासंगिक भाग द्वारा प्रत्यर्थी को कहा गया था कि वह उसके लंबित बिलों का भुगतान करे अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी।

10. परिवाद दर्ज कराने के लिए सूचना की तामिल होना अनिवार्य है। यह एक विधिक परिकल्पना है। अधिनियम की धारा 138 का संचालन परंतुक द्वारा सीमित है। जब परंतुक लागू होता है, तो मुख्य धारा लागू नहीं होगी। जब कोई सूचना, अधिनियम की धारा 138 से जुड़े परंतुक (बी) के अनुरूप नहीं दी जाती है तो परिवाद पोषणीय नहीं होगा। विधायिका ने उक्त प्रावधान लागू करते समय जानबूझकर कुछ शर्तें लगाईं। इन शर्तों में से एक चैक की राशि के भुगतान की मांग करते हुए सूचना की सेवा थी, जैसा कि "उक्त राशि का भुगतान" वाक्यांश के उपयोग से स्पष्ट है। इस तरह की सूचना, बैंक से चैक को अनादरित कर वापस करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भेजी जानी चाहिए। विधि द्वारा दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने की परिकल्पना की गई है। दंडात्मक प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिए; जिसके लिए सूचना की तामील होना पूर्ववर्ती शर्त है। यह कहना उचित होगा कि मांग न केवल चैक के तहत भुगतान नही की गई राशि का प्रतिनिधित्व कर सकती है, बल्कि लागत और ब्याज जैसे अन्य आकस्मिक खर्चों का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है, लेकिन ऐसा होने का मतलब यह नहीं होगा कि सूचना अस्पष्ट या दो अर्थ वाली होगी। यह निर्दिष्ट किए बिना कि अनादरित चैक के तहत देय राशि क्या थी, दी गई सूचना कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी। प्रत्यर्थी संख्या 1 को उस राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कहा गया जो उसके द्वारा जारी चैक के तहत देय थी। जिस

राशि, रुपये 8,72,409/- का भुगतान करने के लिए कहा गया था, वह बिलों की बकाया राशि थी। सूचना प्राप्तकर्ता को उक्त मांग का जवाब देना था। इसके अनुसरण में, रुपये 8,72,409/- की पूरी राशि की पेशकश की जानी थी। परिवादी को दिए गए चैक दिनांकित 30.04.2000 की राशि रूपये 1,00,000/- का भुगतान करने के लिए कोई मांग नहीं की गई थी। इसलिए, जो माँग की गई वह पूरी राशि की थी न कि उसके एक हिस्से की।

11. श्री जैन ने सुमन सेठी बनाम अजय के. चुरीवाल और अन्य [(2000) 2 एस.सी.सी. 380] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था:

> "8. यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि सूचना को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। सूचना में, "उक्त राशि" यानी चैक राशि की मांग की जानी है। यदि ऐसी कोई मांग नहीं की जाती है इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना अपनी कानूनी आवश्यकता से कम होगा। जहां "उक्त राशि" के अलावा ब्याज, लागत आदि के रूप में भी दावा किया गया है, वंहा सूचना त्रुटिपूर्ण है या नहीं, यह सूचना की भाषा पर निर्भर करेगा। यदि, सूचना में मांग की गई राशि का विवरण देते समय चैक की राशि, ब्याज, क्षति आदि को अलग से निर्दिष्ट किया गया है, तो ब्याज, लागत आदि के लिए अन्य मांग अतिरिक्त होगी और यह अतिरिक्त मांग प्रथक्करणीय होगी, जो सूचना को अमान्य नहीं करेंगी। हालाँकि, यदि सूचना में अनादरित चैक के तहत देय राशि को विनिर्दिष्ट किए बिना सर्वव्यापी मांग की जाती है, तो यह सूचना कानूनी आवश्यकता को पूरा करने में विफल हो सकती है और इसे त्रुटीपूर्ण माना जा सकता है।"

9. इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 138 से सम्बन्धित, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम सैक्सन फार्म्स 3 के मामले में यह माना गया कि, "सूचना का उद्देश्य चैक के लेखीवाल को अपनी गलती को सुधारने का मौका देना है। यद्यपि सूचना में मुआवजे, ब्याज, लागत आदि की भी मांग की गई है लेकिन यदि चैक का लेखीवाल सूचना प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर या परिवाद दर्ज होने से पहले चैक राशि का भुगतान कर देता है, तो वह धारा 138 के तहत अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा।"

(जोर देने के लिए रेखांकित करना हमारा है)

चूंकि इस मामले में, चैक की राशि के अतिरिक्त कुछ अन्य रकम का संन्दर्भ दिया गया था, इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं माना गया जहां संपूर्ण बकाया राशि के सम्बंध में विवाद मौजूद हो सकता है।

12. मामले के इस पहलू के लिए, हम के. आर. इंदिरा बनाम डॉ. जी. आदिनारायण [(2003) 8 एस.सी.सी. 300] पर विचार कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने सुमन सेठी (सुप्रा) को ध्यान में रखते हुए कानून की इस प्रकार व्याख्या की है:

".....हालांकि, प्रत्यर्थी के अनुसार, विचाराधीन सूचना को उस तरह से अलग नहीं किया जा सकता है और उसमें चैक में वर्णित की गई राशि के भुगतान के लिए कोई विशेष मांग नहीं की गई थी। हमने सूचना की सामग्री का अध्ययन किया है। गौरतलब है कि न केवल चैक की राशि कथित ऋण राशि से भिन्न थी, बल्कि चैक राशि की मांग न करते हुए केवल ऋण राशि की मांग की गई थी, जैसे कि यह

ऋण राशि की ही मांग हो और चैक राशि के भुगतान की मांग नहीं हो और ना ही यह कहा जा सकता है कि यह चैक राशि के भुगतान की मांग थी और इसके अतिरिक्त अन्य भी मांग की गई थी। अनादरित चैक की राशि की मांग करना आवश्यक है जो इस मामले में जारी सूचना में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इस मामले में विचाराधीन सूचना अपूर्ण है, इसलिए नहीं कि इसमें कोई अतिरिक्त या अन्य मांग भी थी, बल्कि इसमें विशेष रूप से चैक राशि के भुगतान की कोई मांग शामिल नहीं थी, ऐसी मांग न करना ही यह जाहिर करता है कि लेखीवाल ने अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के विपरीत कार्य किया है.....।''

13. जैसा कि मौजूदा मामले में, चैक राशि के भुगतान के लिए कोई मांग नहीं की गई थी, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है।

14. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई बल नहीं है जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी देवेन्द्र सिंह नागर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।